सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 405 राँची, बुधवार, 27 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 17 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

20 अप्रैल, 2024

संख्या- 03/म०स०/RPwD Act-308/2017-1542–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में निम्नांकित संशोधन करते है:-

1. संक्षिप्त नाम्, विस्ता रएवं प्रारंभ-

   i. यह नियमावली "झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2026 कही जाएगी।

   ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   iii. यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) के नियम-43 (ग) में नियम 43 (ग) (v) को निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है -

'नियम-43 (ग) (v) जिन संस्थानों के पास दिव्यांगता या पुनर्वास के क्षेत्र में कोई कार्य अनुभव नहीं है, लेकिन संस्था के पास पर्याप्त भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हैं तथा संस्था दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने एवं अधिनियम के तहत पंजीकरण के इच्छुक है, तो वह निदेशक, समाज कल्याण को पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है । ऐसे संस्थानों को पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ विगत 03 वर्षों का प्राप्त अनुदानों का विवरण या अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने की अनिवार्यता नहीं होगी । ऐसे संस्थानों को दिव्यांगता के क्षेत्र में 03 वर्षों के कार्यानुभव के पूर्व राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय / भौतिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। संस्थानों की जाँच विशेष शाखा से कराई जायेगी एवं संबंधित उपायुक्त से प्राप्त अनुशंसा के पश्चात् ही पंजीकरण परविचार किया जायेगा। संस्था का पंजीकरण 05 वर्षों के लिए वैध होगा।"

3. झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमा शंकर सिंह,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 405 - 50